न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 53/2022
जीसीएमएस न0:– 2022/203
दायर दिनांक :– 15/12/2022
निर्णय दिनांक :– 18/09/2023

अनवान

1. श्री भानचन्द पिता मीखा लौहार जाति परमार निवासी हेमपुरा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार देवगढ प्रकरण संख्या 37/2022,नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 16.08.2022

उपस्थित :–

1– श्री गिरिश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 18.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, अपीलांट द्वारा **राजस्व ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल के खसरा नम्बर 472 कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर किस्म बिलानाम पडत भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण** कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से **अतिक्रमी** को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये वार्षिक लगान 8 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 400/– आरोपित करने के दण्ड, एवं अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 16.08.2022 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है, अपीलान्ट का **राजस्व ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल के खसरा नम्बर 472 कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर किस्म बिलानाम पडत भूमि पर** अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है, फिर भी अगर कोई छडी लाठिया पडी होगी तो हटा लेगा और दिनांक 01.08.2022 का समय दिया गया, अपीलांट के आराजी नंबर 472 किस्म बिलानाम भूमि पर जो कांटो की छडिया व बाड थी वह भी हटा ली मोके पर उसका कोई कब्जा नहीं है, पटवार हल्का ताल ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत रिपोर्ट पेश की व अपीलान्ट का कब्जा नहीं हटाने ब्योरा दिया क्योंकि पटवार हल्का भू–माफिया से मिला हुआ है, दुसरे लोगो का कब्जा कराने पर आमदा है, अपीलांट के पटवारी पटवार हल्का को कहा कि मैने तो अपना कब्जा हटा लिया परन्तु आप मिलीभगत करके दुसरों का कब्जा मत करवाना जिस पर पटवारी हल्का ने कहा कि मेरी मर्जी होगी

वह करूगां तु कहने वाला कौन होता है, इस पर अपीलान्ट ने पटवारी के विरूद्ध पोर्टल पर शिकायत की जिससे रूष्ठ होकर पटवारी ने अपीलान्ट को मौके से कब्जा नही हटाने का तहसील में रिपोर्ट कर गलत बयानबाजी की हे, अपीलांट का आराजी नम्बर 472 पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, पटवारी ने मामले को निजी लेकर अपीलांट को कहा कि मै तुम्हें सजा करवा दुगा, व अधीनस्थ न्यायालय में गलत रिपोर्ट की अधीनस्थ न्यायालय में पेशी कब है, इसकी सूचना भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को नही दी, अपीलान्ट ने सन् 2021 में ही अपना अतिक्रमण हटा लिया गया, फिर कभी अतिक्रमण नहीं किया दिनांक 27.07.2022 को अपीलान्ट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलाण्ट को काफी प्रभावशाली होना बताया गया ,जबकि अपीलान्ट बिना पढा लिखा गरीब काश्तकार है, भू माफिया के द्वारा पटवारी से मिलीभगत करते हुए उक्त कार्यवाही की गई, अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना को ताफेसला अपील स्थगित रखा जावे, अन्यथा अपीलांट एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसका परिवार संकट में पड जायेगा।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि **राजस्व ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल के खसरा नम्बर 472 कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर किस्म बिलानाम पडत भूमि पर** अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमी को बेदखली निर्णय अनुसार दिनांक 12.08.2021 को पटवारी हल्का ताल द्वारा मौके से बेदखल किया गया अतिक्रमण मुक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पुनः(पश्चातवर्ती) जबरन अतिक्रमण किया गया, अपीलाण्ट द्वारा दुबारा अतिक्रमण किया जाना पश्चात्वर्ती की श्रेणी में आता है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस ,प्रस्तुत विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा **राजस्व ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल के खसरा नम्बर 472 कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर किस्म बिलानाम पडत** अतिक्रमण मुक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पुनः(पश्चातवर्ती) जबरन अतिक्रमण किया गया, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, की धारा–91(2) के अन्तर्गत **राजस्व ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल के खसरा नम्बर 472 कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर किस्म बिलानाम पडत** भूमि पर भौतिक रूप से बेदखल करने, वार्षिक लगान 8 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 400/– आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91(2), के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रकियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं, अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारीज की जाती है।

18/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

18/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द